संख्या-551/2025/आई/1136509/23-1-25/001-23-1002(002)/286/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 07 नवम्बर, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से लखनऊ मण्डल के अन्तर्गत के विभिन्न जनपदों के कुल 53 मार्गों के विशेष मरम्मत कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **लखनऊ मण्डल के अन्तर्गत के विभिन्न जनपदों के कुल 53 मार्गों के विशेष मरम्मत कार्यों हेतु कुल लागत रू0 49,87,23,000/- (रूपये उनचास करोड़ सत्तासी लाख तेईस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल **रू0 17,45,52,000/- (रूपये सत्रह करोड़ पैंतालीस लाख बावन हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	जनपद खण्ड का नाम	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रा0खं0 लखनऊ	आई/303176/2025, दिनांक 08.10.2025	270207	जनपद लखनऊ में इटौंजा-कुर्सी-कुम्हरावा-कुर्सी-देवा-चिनहट मार्ग (मटियारी से देवा मार्ग) के किमी0 50,51 व 52(15) पर विशेष मरम्मत का कार्य।	2.015	306.93	107.43
2	प्रा0खं0 लखनऊ	आई/303176/2025, दिनांक 08.10.2025	271022	सीतापुर मार्ग से मिर्जापुर अजनहर रसूलपुर कोटवा सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	5.000	76.71	26.85
3	प्रा0खं0 लखनऊ	आई/303176/2025, दिनांक 08.10.2025	271017	सीतापुर मार्ग से कोटवा लहंगपुर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	3.880	64.54	22.59
4	प्रा0खं0 लखनऊ	आई/303176/2025, दिनांक 08.10.2025	270014	लखनऊ कानपुर मार्ग से हरदोई मार्ग एवं हरदोई मार्ग से सीतापुर मार्ग (रिंग रोड) से खुशी विहार कालोनी होते हुये टी0पी0 शुक्ला के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।	0.700	116.41	40.74

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0सं0	जनपद खण्ड का नाम	मुख्य अभियन्ता (मु0 -1) का पत्रांक व दिनांक	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
5	नि.ख.-2 लखनऊ	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	271464	लखनऊ नगराम मार्ग से हरिहरपुर (मलाक) मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य (अ0जि0मा0)	1.015	174.37	61.02
6	प्रा0खं0 लखनऊ	आई/231888/2025, दिनांक 06.08.2025	270334	मिल एरिया चौकी में आलमनगर वाया मीना बेकरी मार्ग के दोनों तरफ किमी0 1, 2, 3((640) पटरी पर इण्टरलाकिंग टाईल्स लगाने का का कार्य।	2.640	160.09	56.03
7	प्रा.ख. लखनऊ	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	270308	रिंग रोड से कल्याणपुर मार्ग (ओ0डी0आर0 मार्ग) के विशेष मरम्मत का कार्य।	2.500	49.18	17.21
8	प्रा.ख. लखनऊ	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	270312	जनपद लखनऊ में गांधी सेतु से एल0डी0ए0 रोड वाया 08 लेन ब्रिज मार्ग (ओ0डी0आर0 मार्ग) के विशेष मरम्मत एवं सड़क सुरक्षा का कार्य।	1.550	175.26	61.34
9	नि.ख.-2 लखनऊ	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	275649	गोसाईगंज-बनी-मोहान मार्ग (राज्य मार्ग सं0-136) के किमी0 - 1(240) का विशेष मरम्मत का कार्य।	0.240	124.22	43.48
10	नि.ख.-2 लखनऊ	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	271417	लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग से महुराकलां सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	1.589	83.26	29.14
11	नि.ख.-2 लखनऊ	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	271416	सोनई कजेहरा मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	0.500	42.38	14.83
12	नि.ख.-2 लखनऊ	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	270457	नवीपनाह अन्धे की चैकी से सरथरा सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	3.000	47.81	16.73
13	नि.ख.-2 लखनऊ	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	270477	रहीमाबाबाद माल मार्ग से थरी मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	0.450	48.25	16.89
14	नि.ख.-2 लखनऊ	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	275901	भट्ठा थावर मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	4.400	86.43	30.25
15	नि.ख.-2 लखनऊ	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	270070	सईबसी सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	2.200	70.07	24.52
16	प्रा0खं0 लखीमपुर खीरी	आई/303176/2025, दिनांक 08.10.2025	230054	सराय से बेल सम्पर्क मार्ग	1.350	45.94	16.08
17	प्रा0खं0 लखीमपुर खीरी	आई/303176/2025, दिनांक 08.10.2025	230099	करनपुर खजुहा मार्ग से तुलसीपुर सम्पर्क मार्ग	2.600	60.85	21.30
18	प्रा0खं0 लखीमपुर खीरी	आई/303176/2025, दिनांक 08.10.2025	230493	करनपुर मुर्तिहा से अमकोटवा सम्पर्क मार्ग	0.800	103.43	36.20
19	प्रा0खं0 लखीमपुर खीरी	आई/303176/2025, दिनांक 08.10.2025	230047	कैमहरा से रौसा सम्पर्क मार्ग	1.900	65.23	22.83
20	नि.ख.-1 खीरी	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	231339	बिलराया पनवारी कि0मी0 -40 से पयाग सम्पर्क मार्ग के किमी0 4 से 9(700) में विशेष मरम्मत का कार्य।	5.700	180.52	63.18
21	प्रा0खं0 लखीमपुर खीरी	आई/303176/2025, दिनांक 08.10.2025	232210	मैगलगंज से सिद्धबाबासम्पर्क मार्ग	0.545	64.01	22.40

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0सं0	जनपद खण्ड का नाम	मुख्य अभियन्ता (मु0 -1) का पत्रांक व दिनांक	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
22	प्रा0खं0 लखीमपुर खीरी	आई/303176/2025, दिनांक 08.10.2025	230899	कस्ता रोड कि0मी0 28 से भुरकुडा सम्पर्क मार्ग	0.356	44.24	15.48
23	प्रा0खं0 लखीमपुर खीरी	आई/303176/2025, दिनांक 08.10.2025	238333	इमलिया सम्पर्क मार्ग कि0मी0 1 में 1 x 3 मीटर स्पान आर0सी0सी0 पुलिया का कार्य	Culvert	44.85	15.70
24	प्रा.ख. खीरी	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025		मितौली कस्बे के पास नहर पुल से ख्जननगर पुल सम्पर्क मार्ग	5.000	157.44	55.10
25	प्रा0खं0 लखीमपुर खीरी	आई/303176/2025, दिनांक 08.10.2025	230409	कुइयाखेडा से पतवन सम्पर्क मार्ग	0.450	58.16	20.36
26	प्रा.ख. खीरी	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	235923	शंकरपुर चैराहा वाया कुइया मदारपुर सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत	1.810	54.40	19.04
27	नि.ख.-1 खीरी	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	231734	रमुआपुर सम्पर्क मार्ग के किमी0 1.600 से 5.000 में विशेष मरम्मत का कार्य।	3.400	119.74	41.91
28	नि.ख.-1 खीरी	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	231253	पीलीभीत बस्ती मार्ग के किमी0 148 से सैदीपुर हरैया सम्पर्क मार्ग के किमी0.1 में क्षतिग्रस्त आर्च कल्वर्ट के स्थान पर (1x4) मी0 स्पान के लघु सेतु व पहॅच मार्ग का निर्माण कार्य	Box Culvert	46.42	16.25
29	प्रा.ख. सीतापुर	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	240311	बेनी सरायं बेलवा सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	1.34	51.31	17.96
30	नि.ख. सीतापुर	आई/316397/2025आई/316397/2025, दिनांक 18.10.2025	241042	बी0पी0 मार्ग से बीकासुरग्रन्ट (रघुवीरपुर) सम्पर्क मार्ग।	3.000	47.83	16.74
31	नि.ख. सीतापुर	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	240904	चक्रतीर्थ से हनुमानगढ़ी सम्पर्क मार्ग।	0.28	54.71	19.15
32	प्रा.ख. सीतापुर	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	240227	लहरपुर तम्बौर एम0डी0आर0 के किमी0 24 से बेहटा मोहम्मदपुर उसिया सैदापुर सुमिरावां होते हुए मतुआ सकरन भोलागंज का किमी0 10 तक का विशेष मरम्मत का कार्य।	1.750	72.27	25.29
33	प्रा.ख. सीतापुर	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	240602	मुड़िला सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	3.430	51.81	18.13
34	प्रा.ख. सीतापुर	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	240281	सुपौली से पतरासा लिंक रोड	1.000	58.32	20.41
35	प्रा.ख. सीतापुर	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	240220	भगौतीपुर रामपुर मथुरा कलुवापुर माार्ग (अ0जि0मार्ग) के किमी0 3 में 1x5 मी0 स्पान बाक्स कल्वर्ट	Box Culvert	55.99	19.60
36	प्रा.ख. सीतापुर	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	240575	बारा से कोटवलपुरवा लिंक रोड का विशेष मरम्मत का कार्य।	1.000	50.1	17.54
37	प्रा.ख. सीतापुर	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	240596	तम्बौर रेउसा से कुसमारा वाया ढेनुवा मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	2.950	86.06	30.12

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0सं0	जनपद खण्ड का नाम	मुख्य अभियन्ता (मु0 -1) का पत्रांक व दिनांक	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
38	प्रा.ख. सीतापुर	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	240330	कलिमापुर किमी0 1 से सोहलिया मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	0.800	56.24	19.68
39	नि.ख. सीतापुर	आई/316397/2025आई/316397/2025, दिनांक 18.10.2025	241528	कुचलाई गोंदलामऊ अ0जि0 मार्ग से तारापुर नरहरपुर होते हुए मुरहाडीह सम्पर्क मार्ग के आबादी भागों में सी0सी0 रोड निर्माण व नाली का कार्य।	1.320	64.09	22.43
40	नि.ख.-4 सीतापुर	आई/316397/2025आई/316397/2025, दिनांक 18.10.2025	241956	मूसेपुर मुतावली (अवशेष भाग) सम्पर्क मार्ग	2.050	42.98	15.04
41	नि.ख.-4 सीतापुर	आई/316397/2025आई/316397/2025, दिनांक 18.10.2025	242598	निमचैना सम्पर्क मार्ग	2.100	59.06	20.67
42	नि.ख.-2 रायबरेली	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	286469	मुजफ्फरपुर ग्राम सभा मनेहरू से गौतमन का पुरवा शंकरगंज वायां पूरे भवन का पुरवा सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	3.000	44.65	15.63
43	नि.ख.-2 रायबरेली	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	280313	बहराईच-बॉदा मार्ग (एस0एच0-13) के किमी0- 207, 210 से 212.600 तक मरम्मत का कार्य।	3.600	192.89	67.51
44	नि.ख.-2 रायबरेली	आई/316397/2025आई/316397/2025, दिनांक 18.10.2025	281913	लालगंज उन्नाव मार्ग से खाण्डेखेड़ा होते हुए सुरजीपुर सम्पर्क मार्ग।	2.200	50.88	17.81
45	नि.ख.-2 रायबरेली	आई/318489/2025, दिनांक 24.10.2025	286806	निहस्था खीरों पाहों मौरावां मार्ग (अ0जि0मा0 के कि0मी0- 16 में क्षतिग्रस्त / सकरी पुलिया के स्थान पर 3 x 2.00 मी0 स्पान आर0सी0सी0 बाक्स पुलिया का निर्माण कार्य	Box Culvert	47.13	16.50
46	नि.ख.-2 रायबरेली	आई/318489/2025, दिनांक 24.10.2025	286665	लालू का पुरवा संपर्क मार्ग के कि0मी0- 1 में क्षतिग्रस्त / सकरी पुलिया के स्थान पर 3x2.00 मी0 स्पान आर0सी0सी0 बाक्स पुलिया का निर्माण कार्य	Box Culvert	47.59	16.66
47	नि.ख.-2 रायबरेली	आई/318489/2025, दिनांक 24.10.2025	286615	टिकवामऊ मेडौली गणेशपुर वाया सैनी संपर्क मार्ग के कि0मी0- 2 में क्षतिग्रस्त / सकरी पुलिया के स्थान पर 3x2.00 मी0 स्पान आर0सी0सी0 बाक्स पुलिया का निर्माण कार्य	Box Culvert	47.46	16.61
48	प्रा.ख. रायबरेली	आई/316397/2025आई/316397/2025, दिनांक 18.10.2025	280654	महराजगंज-चन्दापुर-सेमरौता मार्ग से झुकवापार बंधवापार सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	1.500	53.23	18.63
49	प्रा.ख. रायबरेली	आई/316397/2025आई/316397/2025, दिनांक 18.10.2025	281850	चुरूवा-सेंहगों-बंकागढ़ सम्पर्क मार्ग के किमी0 6, 7, 9, 10, 11(710) एवं 12 के विशेष मरम्मत का कार्य	5.710	77.28	27.05
50	प्रा.ख. रायबरेली	आई/316397/2025 आई/316397/2025, दिनांक 18.10.2025	286083	जमुरावां सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	2.500	66.53	23.29
51	प्रा.ख. उन्नाव	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	260323	उन्नाव सिरोसी परियर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के आबादी भाग में पूर्व निर्मित सीसी मार्ग के मरम्मत का कार्य	2.100	491.66	172.08

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0सं0	जनपद खण्ड का नाम	मुख्य अभियन्ता (मु0 -1) का पत्रांक व दिनांक	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
52	प्रा.ख. उन्नाव	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	260328	कालूखेड़ा कांथा मुसन्ना मार्ग अन्य जिला मार्ग के किमी0 6, 8, 10, 11, 12(500) में विशेष मरम्मत	4.500	233.89	81.86
53	प्रा.ख. उन्नाव	आई/320851/2025, दिनांक 28.10.2025	260313	पुरवा बिहार मार्ग अन्य जिला मार्ग के में विशेष मरम्मत	7.950	212.13	74.25
					कुल योग-	4987.23	1745.52

(1) प्रश्नगत कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। विभाग का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। साथ ही विभाग का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यो में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट व स्टील, ग्रिट, बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।

(5) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(6) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(8) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(9) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(10) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) परियोजना की लागत व समय सीमा में बढोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं माह में कम से कम एक बार समीक्षा विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित बचत (यदि हो तो) व कार्य पूर्णता इत्यादि की सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) परियोजना को निर्धारित समयसीमा के अन्दर अवश्य पूर्ण कर लिया जाये तथा टाइम ओवर रन एवं क्रास्ट ओवर रन इत्यादि के कारण प्रायोजना का पुनरीक्षण भविष्य में नहीं किया जायेगा।

(14) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पुनरीक्षित आगणन गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय-वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय-वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(15) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है, तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(16) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(17) परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता आदि के वेतन से की जायेगी।

(18) परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

(19) जिन मार्गों के सृष्टि कोड अंकित नहीं है, उनके संबंध में प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व के हैं अथवा उनके लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में न होने की दशा में संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त किये जाने के उपरान्त कार्यवाही की जाय।

(20) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(21) उपरिलिखित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 17,45,52,000/- (रूपये सत्रह करोड़ पैंतालीस लाख बावन हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231 /2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-551/2025/आई/1136509(1)/23-1-25/001-23-1002(002)/286/2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
5- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
7- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
9- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
12- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in